

गु०न०

किस्म गु०

रज्जु दिनांक

निर्णय दि

26/19

धारा 91

26.6.19

12.7.

उनवान सरकार बनाम हरिराम भुत्र सुगडाराम जाति गुर्जर नि० डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुम्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी उपस्थित। मागला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्मत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम डुमोली खुर्द की राजकीय भूमि गै०गु० रास्ता ख०न० 1126 रकवा 0.79 किरना गै०गु० रास्ता मे से 36 फुट भूमि पर अतिकमी हरिराम पुत्र सुगडाराम जाति गुर्जर नि० डुमोली खुर्द तहसील बुहाना ने अवैध रूप से पत्थर व वाथरूम बनाकर कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलव किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी के विरुध अभिभाषक उपस्थित हुआ। प्रा०पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मन्नन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व गैर तहसील रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये दुकान के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुद्ध भूमि के लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50 /- रु वतौर शास्ति वसय किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जगा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जगा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। गौके पर पडे पत्थर वहक सरकार कब्जा लिया जाकर निलाम करे पत्रावली वाद तकमील तागिल दारिखल दफतर हो तथा नगवर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 12.07.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

२२५० ५०

...